न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 275 / 19 वाद GCMS NO : 2019/00217
पूर्व प्रकरण संख्या : 81 / 05

1. श्री किशनलाल पिता श्री कालू जी मेघवाल, निवासी जाली का गुड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राजस्थान)।
2. श्री भंवरलाल पिता श्री भेरूसिंह जी गुर्जर, निवासी 28 वर्मा कॉलोनी, सेक्टर नम्बर 9, उदयपुर (राज.)।
3. श्री नाथूलाल पिता श्री मावजी निवासी पनाडाल, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती बतुल बानो पत्नी शब्बीर हुसैन, निवासी खेरादीवाड़ा उदयपुर (राज.) के बजाय :–
   1 / 1. श्रीमती नसीम बानो पुत्री शब्बीर हुसैन जी पत्नी साजिद उर्फ मुन्नाभाई निवासी मदीनानगर (आजादनगर) के पास इन्दौर (म.प्र.)
   1 / 2. श्रीमती शमीम बानो पुत्री शब्बीर हुसैन पत्नी अनवर हुसैन जी मुसलमान, निवासी कच्ची बस्ती से0 न. 11 राजपूताना रिसोर्ट के पास, उदयपुर
   1 / 3. श्रीमती फरीदा बानो पुत्री शब्बीर हसुन जी पत्नी अहमद हुसैन जी मुसलमान, निवासी किशनपोल, कच्ची बस्ती गर्वनमेन्ट प्रेस के पीछे, उदयपुर
2. श्रीमती सलाम बानो पत्नी उस्मान गनी मुसलमान, निवासी बोहरवाड़ी, नजममार्ग हाल 32, धोली बावड़ी, उदयपुर
3. राजस्थान राज्य तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:36:26 IST
Reason: SelfAttested

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री जितेन्द्रसेन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/2 व 1/3

निर्णय

दिनांक : 12.07.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसमें यह कथन किया है कि मौजा मादड़ी पुरोहितान की आराजी नम्बर 1516 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का 1/6, वादी संख्या 2 का हिस्सा होकर उसी अनुसार भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। 1/6, वादी सं. 3 का 1/3 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/6, – 1 /6 विवादित आराजीयत का अभी तक मिट्स एण्ड बाण्ड्स के आधार पर बटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 विवादित भूमि का बिना बंटवाड़ा कराये अवैध रुप से गुण्डा तत्वों का सहारा लेकर अपनी मनमकसूद जगह पर नींव खोदना चालू कर दिया व वादीगण के मना करने पर वादीगण से झगड़ा करने पर उतारू होते है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान द्वारा वादीगण के प्रार्थना पत्र का इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी के वाद का जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि वादीगण ने श्री फिरोज खॉ, श्री सलीम खाँ तथा श्री असलम खाँ से अर्से पूर्व जमीन खरीदी है तथा वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य लिखापढ़ी होकर बंटवाड़ा हो चुका है। उक्त बंटवाड़ा अनुसार सभी काश्तकार जमीन पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी सं. 3 ने प्रतिवादी के पति के हक में जो प्लोट आपसी बंटवाड़ा से आया उसमें जबरन कारतामीर कर ली है। वादी ने गलत एवं बेबुनियाद वाद प्रस्तुत किया जिसे खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में दावे, जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 1516 रकबा 0–0700 हैक्टर में वादी संख्या 1 किशनलाल 1/6 व वादी सं. 2 भंवरलाल का 1/6 हिस्सा व वादी सं. 3 नाथूलाल का 1/3 हिस्सा संयुक्त रुप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है ?

.....वादी

2. आया वादीगण अपने हिस्सेनुसार वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रुप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है जो कराने के अधिकारी है ?

.....वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:36:26 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादग्रस्त आरजी का वादीगण, प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवारा पूर्व में हो गया ?

.....प्रतिवादी

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

1. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 1516 रकबा 0–0700 हैक्टर में वादी संख्या 1 किशनलाल 1/6 व वादी सं. 2 भंवरलाल का 1/6 हिस्सा व वादी सं. 3 नाथूलाल का 1/3 हिस्सा संयुक्त रुप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है ?

.....वादी

➢ इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2048–51 ग्राम मादड़ी पानेरियान अनुसार आ.नं. 1516 श्री नीयतलाल, नारायणलाल, दुर्गाशंकर पिता टोड़ा ब्राह्मण के डालचन्द, भवानीशंकर, माणकलाल, खाते दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 840 दिनांक 14.12.93 बिकाव से आ.नं. 1516 रकबा 0–0700 श्री असलम खां पुत्र मोहम्मद नुर खाँ पठान निवासी महावतवाड़ी, सलीम खां पुत्र मोहम्मद नुर खॉ पठान निवासी महावतवाडी, उदयपुर श्री अकबर खाँ पुत्र सुडाजी मेवाफरोश निवासी मेवाफरोश मोहल्ला, ऐहमद खाँ पुत्र सुडाजी मेवाफरोश निवासी मेवाफरोश मोहल्ला, श्रीमती बतुलबानो पत्नी शब्बीर हुसैन निविसी खेरादीवाड़ा, उदयपुर, श्रीमती सलमाबानु पत्नी इस्मान गनी निवासी बोहरवाड़ी, नजममार्ग, उदयपुर दर्ज रिकार्ड था। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 ग्राम मादड़ी पानेरियान अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के असलम खान पुत्र मोहम्मद नुर खान, श्री सलिम खान, किशन पिता कालु, भंवरलाल पिता भेरूसिंह, श्रीमती बतुलबानो पत्नि शाबीर हुसैन, श्रीमती सलाम बानु पत्नि उस्मान गनी के खाते दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 2335 दिनांक 11.07.03 बिकाव से असलम खाँ, सलिम खाँ पिता मोहम्मद नुर खॉ पठान की बजाय 1/3 हिस्सा नाथुलाल पिता मावजी गर्ग निवासी झाड़ोल तहसील सराड़ा उदयपुर 1/3 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर किशनलाल का 1/6 हिस्सा, भंवरलाल का 1/6 हिस्सा तथा नाथुलाल का 1/3 हिस्सा संयुक्त रुप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः तनकी नम्बर 1 वादीगण के हक में तय की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:36:26 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वादीगण अपने हिस्सेनुसार वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रुप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है जो कराने के अधिकारी है ?

.....वादी

➢ तनकी नम्बर 1 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर कानूनी रूप से बंटवाड़ा नहीं हुआ है जिसका वादीगण बंटवाड़ा करा पाने के अधिकारी है। अतः तनकी नम्बर 2 वादी के हक में तय की जाती है।

3. आया वादग्रस्त आरजी का वादीगण, प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवारा पूर्व में हो गया ?

.....प्रतिवादी

➢ इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं जिरह बयान से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आरजीयात सहखातेदारी की होकर पूर्व में विधिक बंटवाड़ा नहीं हुआ है। अतः तनकी नम्बर 3 प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

प्रकरण में तनकीवार विवेचन से दिनांक 24.12.2009 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा की आराजी नम्बर 1516 रकबा 0.0700 हैक्टयर भूमि का बंटवाड़ा किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आराजी नम्बर 1516 रकबा 0.0700 हैक्टयर भूमि ग्राम मादड़ी, पानेरियान पर मकान बन गए है, भूमि का स्वरूप कृषि भूमि नहीं रहा है। अतः धारा 53, 188 के तहत् कृषि बंटवाड़ा किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण में वादीगणों का हिस्सा व प्रतिवादीगण का हिस्सा बदल गए है। मौके पर वर्तमान खातेदार की भौतिक जानकारी हेतु मौका निरीक्षण किया गया मौके पर शांता, किशन उंकारी, भंवरलाल, आराजी संख्या 1516 में काबिज है। भंवरलाल का 1/2 हिस्सा, जमकलाल आराजी संख्या 1517 में काबिज है, दिनेश नाथुलाल आराजी संख्या 1518 में काबिज है। इसमें से शांता, किशन, उकारी, भंवरलाल, ने मौके पर पक्का निर्माण कर मकान बना रखाा है तथा दिनेश ने टीन शेड़ लगा रखा है। नाथुलाल ने बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। आराजी संख्या 1517 व 1518 वर्तमान में राजस्व आवासन मण्डल के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि आराजी संख्या 1516, 1517 व 1518 का एक ही खाता था, परन्तु 1517 व 1518 के राजस्थान आवासन मण्डल में जाने से अकेले 1516 का बंटवाड़ा संभव नहीं रहा है।

प्रकरण में वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का मत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:36:26 IST
Reason: SelfAttested

है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराये जाने का अनुतोष चाहा गया है, किन्तु वादीगण की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। जिससे स्पष्ट है कि उभयपक्ष अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है एवं उक्त प्रकरण में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहते है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि आराजी नम्बर 1516 रकबा 0.0700 हैक्टयर भूमि ग्राम मादड़ी, पानेरियान पर मकान बन गए है, भूमि का भौतिक स्वरूप कृषि भूमि नहीं रहा है तथा आराजी संख्या 1517 व 1518 वर्तमान में राजस्व आवासन मण्डल के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि आराजी संख्या 1516, 1517 व 1518 का एक ही खाता था, परन्तु 1517 व 1518 के राजस्थान आवासन मण्डल में जाने से अकेले 1516 का बंटवाड़ा संभव नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि का भौतिक स्वरूप कृषि भूमि नही रहने से वादीगण की ओर से भी प्रभावी पैरवी नहीं होने से उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है तथा तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रारभिक डिक्री की पालना किा जाना संभव नहीं है।

अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:36:26 IST
Reason: SelfAttested